निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ 1946 (श0)

(सं0 पटना 510) पटना, बुधवार, 12 जून 2024

सं० 27 / आरोप–01–32 / 2021 सा0प्र0––7294
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
9 मई 2024

श्री राजेश कुमार गुप्ता (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 874 / 11 तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ के विरूद्ध उनके पदस्थापन अवधि में विभागीय निदेशों के विरूद्ध इंदिरा आवास योजना की राशि को राष्ट्रीयकृत बैंको में जमा नहीं कर विभिन्न पैक्सों में जमा करने, इंदिरा आवास की साप्ताहिक समीक्षा बैठक नहीं करने, इंदिरा आवास के लाभुकों की राशि आवंटन में अनियमितता बरते जाने संबंधी आरोप प्रपत्र 'क' जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक–254 दिनांक–04.02.2009 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ।

प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–10018 दिनांक–09.10.2009 द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध विभागीय जांच संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक–3505 दिनांक–11.12.2009 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन को विभागीय समीक्षोपरान्त अपूर्ण मानते हुए जांच प्रतिवेदन एवं ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7431 दिनांक–12.07.2010 द्वारा प्राप्त पूरक आरोप प्रपत्र को पुनः आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल–सह–संचालन पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक–2005 दिनांक–17.02.2011 द्वारा भेजते हुए पुनः जांच का अनुरोध किया गया।

उक्त विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध श्री गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 12382 / 11 में दिनांक–04.08.2011 को पारित न्यायादेश में श्री गुप्ता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का रिट याचिका लम्बित रहने तक अग्रेतर जांच कार्य स्थगित रहने का आदेश पारित किया गया। दिनांक–08.02.2018 को माननीय न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 12382 / 11 को निरस्त किया गया।

आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक–2971 दिनांक–29.08.2022 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप संख्या–1 एवं 3 को आंशिक प्रमाणित एवं आरोप संख्या–2 एवं 4 को प्रमाणित बताया गया है। जांच आयुक्त से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में श्री गुप्ता से विभागीय पत्रांक–18231 दिनांक–12.10.2022 द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री गुप्ता का लिखित अभिकथन दिनांक–13.01.2023 प्राप्त हुआ। समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3326 दिनांक 16.02.2023 द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध निंदन (आरोप वर्ष 2006–07) एवं इनकी तीन वेतनवृद्धि को असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी है।

उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री गुप्ता द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री गुप्ता का कहना है कि पारित आदेश का पुनर्विलोकन करने का अनुरोध पूर्व में भी किया गया था। अनुरोध पत्र पर कृत कार्रवाई की कोई सूचना उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। उनके उपर लगाया गया कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी उन्हें लघु दंड दिया गया, जिसके कारण उनकी पदोन्नति रूकी हुई है। उनके द्वारा किसी भी पैक्स में कोई खाता नहीं खोला गया तथा न ही सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया। साथ ही इंदिरा आवास के लाभुकों का उनके कार्य अवधि में राशि प्राप्त न होने की कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है। संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिये गये वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी का बयान तथा प्रमाण से यह स्पष्ट होता है। फिर भी दूसरे पदाधिकारी की गलतियों का गंभीर आरोप उनपर लगाकर उन्हें निलंबित किया गया। उक्त मामले में उनके विरुद्ध षड्यंत्र की भी जांच नहीं की गयी, जबकि उनके द्वारा सभी साक्ष्य समर्पित किये गये हैं।

श्री गुप्ता द्वारा स्वयं पर अधिरोपित दंड के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जांच प्रतिवेदन में कुल चार आरोपों में से दो आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा दो आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का स्पष्ट निर्देश था कि इंदिरा आवास राशि का भुगतान लाभुकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, डाकघरों (व्यवसायिक/ग्रामीण बैंक) के द्वारा किया जाएगा। बैंकों, डाकघरों में खाता खुलवाने का पूर्ण दायित्व प्रखंड विकास पदाधिकारी का होगा। इंदिरा आवास के लाभार्थियों को राशि का भुगतान बैंकों/डाकघरों के खाते से नहीं करके पैक्स के माध्यम से किया गया, जो सरकार के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन है। जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सभी साक्ष्यों/दस्तावेजों की जांच की गयी तथा श्री गुप्ता को भी अपने बचाव का पूरा अवसर दिया गया है। श्री गुप्ता का यह कहना कि उनके विरुद्ध षड्यंत्र की जांच नहीं की गयी तथा कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। श्री गुप्ता के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उनके द्वारा पूर्व में समर्पित लिखित अभिकथन में अंकित तथ्यों/साक्ष्यों को ही दुहराया गया है।

समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री गुप्ता के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3326 दिनांक 16.02.2023 द्वारा अधिरोपित दंड यथा निन्दन (आरोप वर्ष 2006–07) एवं तीन वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राजेश कुमार गुप्ता (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 874/11 तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ को **विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3326 दिनांक 16.02.2023 द्वारा अधिरोपित दंड यथा निन्दन (आरोप वर्ष 2006–07) एवं तीन वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड यथावत रखा जाता है।**

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

आदेश से,
रविन्द्रनाथ चौधरी,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 510-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in